

FRRO / Visa Extension & Foreigner Registration Pack

दस्तावेज़ प्रकार : लाइसेंस / वैधानिक फाइलिंग • तैयार किया गया 14 Oct 2026

यह गाइड बताती है कि यह टूल क्या बनाता है, उसका उपयोग कैसे करें, और किन बातों का ध्यान रखें। टूल का वास्तविक आउटपुट (ड्राफ्ट/रिपोर्ट) टूल पेज पर बनता है।

पृष्ठभूमि

भारत में किसी विदेशी के लिए FRRO/FRO कागजात — वीजा विस्तार/रूपांतरण, पंजीकरण, आवासीय परमिट या निकास परमिट — जटिल मामलों (ओवरस्टे, श्रेणी-परिवर्तन, खोया वीजा, नाबालिग) हेतु सावधान दस्तावेज़ीकरण व समर्थन-प्रस्तुतीकरण के साथ यह टूल तैयार करता है।

इस टूल और आउटपुट का उद्देश्य

कार्रवाई व वीजा-श्रेणी हेतु सही e-FRRO आवेदन व पात्रता तय कर, दस्तावेज़ व आवरण-प्रस्तुतीकरण तैयार करना।

आउटपुट का उपयोग कैसे करें

e-FRRO आवेदन-सामग्री व आवरण-प्रस्तुतीकरण का उपयोग e-FRRO पोर्टल पर विस्तार/रूपांतरण/पंजीकरण/परमिट दाखिल करने, प्रायोजक/नियोक्ता दस्तावेज़ संलग्न करने, और किसी ओवरस्टे को बढ़ने से पहले सुलझाने के लिए करें।

यह किसे दिया जाता है

विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) / FRO, आप्रवासन ब्यूरो (Bureau of Immigration) के अधीन, e-FRRO पोर्टल के माध्यम से।

कैसे जमा करें / दाखिल करें

विशिष्ट सेवा हेतु e-FRRO आवेदन पासपोर्ट, वर्तमान वीजा, प्रायोजक/नियोक्ता वचनपत्र व पते-प्रमाण, और औचित्य हेतु प्रस्तुतीकरण सहित दाखिल करें।

शुल्क और खर्च

कार्रवाई हेतु e-FRRO सेवा-शुल्क, तथा लागू होने पर ओवरस्टे जुर्माना।

इसकी जाँच किससे कराएँ

ओवरस्टे, वीजा-श्रेणी परिवर्तन या जटिल मामले हेतु आप्रवासन सलाहकार; सामान्य विस्तार सीधे दाखिल किया जा सकता है।

महत्वपूर्ण सावधानियाँ

ओवरस्टे पर जुर्माना बढ़ता है और मामला जटिल होता है, और श्रेणी-परिवर्तन हेतु उचित आधार व दस्तावेज़ आवश्यक; e-FRRO मार्ग व समय-सीमाएँ विशिष्ट e-FRRO पोर्टल पर सत्यापित करें।

साथ के दस्तावेज़

इस टूल के लिए पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज़ सूचीबद्ध नहीं हैं।

यह एआई-सहायित मार्गदर्शन है। किसी भी बाध्यकारी निर्णय से पहले योग्य पेशेवर से पुष्टि करें। शुल्क, प्राधिकरण और प्रक्रियाएँ राज्य और समय के अनुसार बदलती हैं — अपने राज्य के प्राधिकरण से सत्यापित करें।